

## भारत में अनुबंध कृषि

### प्रलिस के लयि:

अनुबंध कृषि, जैवकि उरवरक, अधकितम अवशेष सीमा (MRL), मुदा कषरण, मोनोकरॉपगि, खाद्य सुरकषा, कसिन उतपादक संगठन (FPO), मूल्य आशवासन और कृषि सेवाओं पर कसिन (सशकतीकरण व संरकषण) समझौता अधनियम, 2020, एंडीज कषेत्र, पौधों की कसिमों और कसिनों के अधकिकार का संरकषण अधनियम, 2001, उच्च नयायालय ।

### मेन्स के लयि:

अनुबंध कृषि से संबधति लाभ और चतिाँ ।

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में कयों?

भारत में [अनुबंध कृषि](#) का सकारात्मक प्रभाव वशिष रूप से प्रसंसकृत आलू के लयि पड़ा है, और इस सफलता को अन्य फसलों और खाद्य उतपादों तक बढ़ाया जा सकता है ।

## अनुबंध कृषि मॉडल क्या है?

- **परचिय:** अनुबंध कृषि एक ऐसी प्रणाली है जसिमें कसिन (उतपादक) और खरीदार कृषि उतपादों के उतपादन और वपिणन के संबध में एक समझौता करते हैं ।
  - इस समझौते में उतपादन प्रकरयिा शुरू होने से पूर्व कसिन की उपज के लयि मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता मानक और डलीवरी की तारीख नरिदषिट की जाती है ।
- **लाभ:**
  - कृशल आपूरत शृंखला प्रबंधन: यह उतपादकों और उपभोक्ताओं के लयि उचति मूल्य सुनश्चति करते हुए शीघ्र नषट होने वाली वसतुओं की बरबादी को कम करता है ।
  - ऋण और कृषि निविश वसतुओं तक पहुँच: कसिनों को बेहतर गुणवत्ता और उतपादन के लयि संबधिकारी फर्मों द्वारा प्रदान कयि गए ऋण, इनपुट और वसितार सेवाओं से लाभ होता है ।
  - उन्नत परचालन दकषता: इससे कंपनयिों को लागत कम करने, दकषता बढ़ाने तथा उच्च मूल्य वाली, गैर-परंपरागत फसलों की मांग की पूरत करने में सहायता मिलती है ।
  - कसिनों की आय में वृद्धि: बेहतर उपज, गारंटीकृत मूल्य और कृशल प्रथाओं के कारण अनुबंधति कसिन प्राय: गैर-अनुबंधति कसिनों की तुलना में अधिक आय अर्जति करते हैं ।
    - RBI के शोध के अनुसार कसिनों को फलों और सबजयिों के लयि उपभोक्ता मूल्य केवल 31% से 43% ही प्रापत होता है, जसि संबधिक कृषि के तहत बढ़ाया जा सकता है ।
  - खाद्य सुरकषा मानकों का अनुपालन: कंपनयिों प्राय: कसिनों को खाद्य सुरकषा प्रथाओं, जैसे जैवकि उरवरकों और कीटनाशक नयितरण का उपयोग करने, अधकितम अवशेष सीमा (MRL) जैसे अंतर्राष्टरीय मानकों को पूरा करने के लयि प्रशकषति करती हैं ।
  - उपभोक्ताओं के लयि बेहतर मूल्य: उपभोक्ताओं के लयि बेहतर मूल्य और मध्यस्थों के बना उतपादों के लयि प्रतसिपर्द्धी दरों की सुवधि के साथ इस मॉडल से मध्यस्थों की भूमिका समापत होती है ।
- **चतिाँ:**
  - शकत असंतुलन: छोटे कसिनों के पास अकसर बड़े कृषि वयवसायों के साथ सौदेबाजी की शकतिका अभाव होता है, जसिके कारण उन्हें शोषणकारी शर्तों का सामना करना पड़ता है, वशिष रूप से तब जब वे वशिषिट फसलों अथवा परसिपत्तयिों में अनुबंधों और नविशों पर नरिभर होते हैं ।
  - व्यतकिरम का जोखमि: यदा बाजार मूल्य बढ़ता है तो कसिन चूक कर सकते हैं, जबकि मूल्य में गरिावट के बाद कंपनयिाँ खरीद से इनकार कर सकती हैं, जसिसे कसिन बाजार से वंचति रह जाएंगे ।
  - भूमि के स्वामतिव पर प्रभाव: कंपनयिों प्राय: कृषि निविश की सभी वसतुओं की आपूरत करती हैं, जसिसे कसिनों के पास देने के लयि

केवल भूमि और श्रम ही बचता है। इससे कंपनियों द्वारा ज़बरन कृषिकराने और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का अधिग्रहण कथि जाने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- पर्यावरण क्षरण: गहन अनुबंध कृषि अत्यधिक जल उपयोग, एकल फसल से संबंधित संक्रमण, तथा कीटनाशक और उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती है।
- खाद्य असुरक्षा: किसान खाद्य फसलों की कीमत पर अनुबंध कृषि के लिये उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

#### ■ वधिक स्थिति:

- मॉडल APMR (कृषि उपज वपिणन वनियमन) अधिनियम, 2003: इसने अनुबंध फर्मों के लिये अनिवार्य पंजीकरण, विवाद समाधान, बाज़ार शुल्क में छूट और अनुबंधों के तहत किसानों के भूमि स्वामित्व की सुरक्षा की शुरुआत की।
- मॉडल कृषि उपज और पशुधन अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018: प्रमुख प्रावधानों में अनुबंध कृषि के कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तरीय प्राधिकरण, FPO को बढ़ावा देना, अनुबंधित उपज के लिये बीमा शामिल हैं।

## भारत में आलू उत्पादन से संबंधित मुख्य बढि क्या हैं?

- आलू: आलू एक स्टार्चयुक्त जड़ वाली सब्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरेवियन-बोलवियन एंडीज क्षेत्र में हुई थी।
  - आलू के लिये भुरभुरी, छदिरयुक्त, अचछी जल निकासी वाली मट्टी की आवश्यकता होती है।
- आलू उत्पादन: भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है।
  - शीर्ष उत्पादक: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार।
  - आलू की कृषि कसिम केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI), शमिला द्वारा विकसित की गई थी।
- कानूनी विवाद (2016-2027): वर्ष 2016 में, पेपसिको ने गुजरात में किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, उन पर FL 2027 (आलू की कसिम) की अनधिकृत खेती का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की।
  - वर्ष 2024 में, दलिली उच्च न्यायालय ने पौधा कसिम और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत पेपसिको के FL 2027 पंजीकरण को बहाल कर दिया, जिससे विवाद फरि से शुरू हो गया।

## आगे की राह

- किसानों की सोदेबाजी की शक्ति बढाना: सरकार को छोटे भूमिधारकों की सोदेबाजी की शक्ति को बढाने और उनके शोषण को कम करने में मदद करने के लिये FPO तथा सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई को बढावा देना चाहिये।
- भूमि सुधार कार्यक्रम: भूमि पट्टे और अनुबंधों तक पहुँच को आसान बनाने, स्वामित्व के मुद्दों का समाधान करने तथा छोटे किसानों को अनुबंध कृषि में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिये भूमि समेकन जैसे भूमि सुधार कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिये।
- उत्पाद-वशिष्ट रणनीतियाँ: नीत निर्माताओं को विभिन्न फसलों, क्षेत्रों एवं बाज़ार की ज़रूरतों के लिये विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में लाभ को अधिकतम करने के क्रम में अनुबंध कृषि रणनीतियाँ अपनानी चाहिये।
- किसानों के हितों की सुरक्षा: वधिक ढाँचे के तहत विवाद समाधान तंत्र एवं स्पष्ट, नषिपक्ष और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को सुनिश्चित करके किसानों को शोषण से बचाना चाहिये।
- फर्मों के साथ साझेदारी: सरकार को किसानों के हितों को किसानों के कल्याण के साथ जोड़ने, नषिपक्ष प्रथाओं को बढावा देने तथा उत्पादकता बढाने एवं जोखिम कम करने के क्रम में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसान प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कृषि व्यवसायों के साथ साझेदारी करनी चाहिये।

### दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित लाभों और चिंताओं का परीक्षण कीजिये। नीतगित सुधार से इन चिंताओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

2015

प्रश्न. भारत में कृषि भूमिधारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिये कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संवदि कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढावा दिया जाना चाहिये? इसके पक्ष-वपिपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015)

